रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 25] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 3, 2018/पौष 13, 1939
No. 25] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 3, 2018/PAUSHA 13, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 2018

(पेनुसिला नरसिम्हा वन्यजीव अभ्यारण्य, आंध्र प्रदेश)

का.आ. 36(अ).— अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए, प्रकाशित किया जाता है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को या ई-मेल esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकता है ।

प्रारूप अधिसूचना

और, पेनुसिला नरसिम्हा वन्यजीव अभयारण्य 1030.85 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। जो आंध्र प्रदेश राज्य के दो राजस्व जिलों (एसपीएसआर नेल्लोर और कडपा) में स्थित है। पेनुसिला नरसिम्हा वन्यजीव अभयारण्य "बडवेल-एसपीएसआर नेल्लोर सड़क" के नाम से विदित दो महत्वपूर्ण पहाड़ी दर्रों के बीच स्थित है जो कि दक्षिण में रपूर-चितवेल सड़क मार्ग, पूर्व में पोडालाकूर सोमासिला मार्ग, दक्षिण में कडापा राजमपेट मार्ग और पश्चिम में सिद्धवतम बडवेल मार्ग पर उत्तर से होकर गुजरता है। यह अभयारण्य तीन वन मंडलों अर्थात् गुंटूर, कुरनूल और वन्यजीव प्रबंधन मंडल तिरुपति तथा चार वन संभागों अर्थात् नेल्लोर, राजमपेट, कडपा और प्रोद्दात्तूर में फैला हुआ है;

और, पेनुसिला नरसिम्हा वन्यजीव अभयारण्य 14.161530 और 14.677480 अक्षांश और 78.984510 और 79.629500 देशांतर के बीच स्थित है। अभयारण्य में दो बड़े जल निकाय अर्थात्, कंडलेरू जलाशय और सोमासिला जलाशय शामिल हैं;

और, पेनुसिला नरसिम्हा वन्यजीव अभयारण्य को आंध्र प्रदेश सरकार के दिनांक 15.09.1997 के ई.एफ एंड एसटी (**III** के लिए) जी ओ एम एस सं. 106 के द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 (1972 का केंद्रीय अधिनियम 53) की धारा 18 के उपाबंध के तहत वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था;

और, यह अभयारण्य अनन्वेषित जैव विविधता, विशेष रुप से लुप्तप्राय हो चुकी वनस्पतियों और उनसे सम्बद्ध जीवजन्तुओं के लिए समृद्ध आवासीय क्षेत्र है। यह अभयारण्य विविध प्रकार की वनस्पति और जीवजन्तुओं का आश्रय स्थल है तथा भू-रुपात्मकता के मोज़ेक से अलंकृत है। इसके अधिकांश क्षेत्र पहाड़ी हैं जिसमें पठार, चट्टानें, घाटियां और गहरी घाटियां हैं, जिनमें शुष्क पर्णपाती वन पाये जाते हैं और घास कम उगती है। इसके आसपास शुष्क कांटेदार और शुष्क सदाबहार वन हैं;

और, नेल्लोर, राजमपेटा, कडपा और प्रोद्दात्तूर संभागों के वनों में मुख्य रूप से बेहतर शुष्क पर्णपाती प्रकार के वन पाए जाते हैं। सर्वाधिक सामान्य प्रजातियां *पेटरोकार्पस सैंटालिनस, एनोजीसस लेटिफोलिया, टर्मिनलिया टोमेंटोसा, पेटरोकार्पस मार्सूपियम, हार्डविक इबिनटा, क्लोरोक्ज़िलोन स्वेएटेनिआ, लैनिया ग्रैंडिस, बोसवेलिया सारटा, डाल्बर्गिया पॅनिकुलटा, ज़िइज़फस ज़ीलॉपीरस, लेगरस्ट्रॉमीया पर्विफ्लोरा* आदि, हैं;

और, अभयारण्य की स्थलाकृति ऐसी है जो विभिन्न सूक्ष्म और दीर्घ पर्यावासों जिनमें विविध जीवजन्तुओं को आश्रय मिलता है के अस्तित्व को सक्षम बनाती है। ऊपरी पठारों, मध्य में ऊंचे पहाड़ी ढलानों के साथ आसपास के शुष्क क्षेत्रों, असंख्य पहाड़ी धाराओं, घाटियों और गहरी घाटियों, चट्टान-आश्रयों, वन भूमि, बांस के वनों का कारण यहां वन्यजीवों की विविध प्रजातियाँ रहती हैं। भू-भौगोलिक वर्गीकरण के अनुसार, यह क्षेत्र इंडो-मलायन क्षेत्र (सीआईएस-गांगेय उप-क्षेत्र) के अंतर्गत आता है और भारतीय जीवजन्तुओं जैसे कि काला हिरन (*एनिलेटोप सर्विकरपा*) और चौसिंगा मृग (*टेट्रासरस क्वैडिकोरिन*) आदि का मूल आवास है;

और, प्रमुख प्रजातियों में पेंथेरा (*पेंथेरा पर्दस*), जंगली कुत्ता (*लाइकाकोन पिक्टस*) आदि जैसी प्रजातियां हैं। इस क्षेत्र की प्रमुख प्रजातियों का अन्य उदाहरण चमगादड़ है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आंध्र प्रदेश राज्य में पेनुसिला नरसिम्हा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 2 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को पेनुसिला नरसिम्हा वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और सीमा**.-

(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार पेनुसिला नरसिम्हा वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर 2 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक होगा। पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 775.59 वर्ग किलोमीटर होगा।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा के साथ संरक्षित क्षेत्र का मानचित्र **उपाबंध I** में दिया गया है और संरक्षित क्षेत्र की सीमा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू-निर्देशांकों की सूची क्रमशः **उपाबंध I** (क) और (ख) में दी गई है।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध II** के रुप में संलग्न है|

(4) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध III** के रुप में संलग्न है ।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना :–

(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रभावी प्रबंधन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्टानुसार प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, के अनुरूप तैयार की जाएगी।

(3) पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय संबंधी सरोकारों को उक्त योजना में समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से आंचलिक महायोजना तैयार की जायेगी:--

(i) पर्यावरण;

(ii) वन;

(iii) शहरी विकास ;

(iv) पारि-पर्यटन सहित पर्यटन;

(v) नगरपालिका और शहरी विकास;

(vi) लोक निर्माण विभाग;

(vii) राजस्व;

(viii) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;

(ix) ग्रामीण विकास;

(x) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण; तथा

(xi) पंचायती राज,

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों को अधिक दक्ष और पर्यावरण अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित और अवक्रमित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, की व्यवस्था की जाएगी ।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामीण और शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का, सहायक मानचित्रों के साथ, निर्धारण किया जाएगा। इस योजना से संबंधित सहायक मानचित्र में विद्यमान और प्रस्तावित भूमि के उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा दिया जाएगा।

(7) आंचलिक महायोजना के अंतर्गत पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित किया जाएगा तथा सारणी में सूचीबद्ध निषिद्ध किए गए, विनियमित किए क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा तथा स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के किए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास को सुनिश्चित तथा संवर्धित किया जायेगा ।

(8) आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना के सह-कालिक (को-टर्मिनस) होगी।

(9) आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी जिसमें इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसरण में उसके निगरानी संबंधी कर्तव्यों के निवर्हन का विवरण होगा ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय:-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--

(1) **भू-उपयोग**:

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, उद्यानों तथा आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए खुले स्थानों का बड़े वाणिज्यिक और आवासीय परिसरों संबंधी औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं किया जाएगा:

(ख) बशर्ते कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, तथा इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे कि:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का निर्माण करना;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का निर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) ग्रामीण उद्योगों सहित कुटीर उद्योग; सुविधा भण्डार और गृह वास सहित स्थानीय सुविधाएं जो पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक हैं; और

(v) बढ़ावा दिए गए और पैरा-4 में वर्णित क्रियाकलाप :

(ग) बशर्ते यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों का अनुपालन किए बिना तथा संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, के अनुपालन के बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा।

(घ) बशर्ते यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर की भूमि के अभिलेखों में उत्पन्न किसी त्रुटि की, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार शुद्धि की जाएगी और उक्त त्रुटि के शुद्धिकरण की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी ।

(ङ) बशर्ते यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि के शुद्धिकरण में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

(च) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के तथा पर्यावासों एवं जैव विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत** -- सभी प्राकृतिक जल स्रोतों/जलमार्गों/नदियों के जलागम क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आचंलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी ।

(3) **पर्यटन/पारिस्थितिकी पर्यटन**:

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन संबंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार होगा ।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग द्वारा राज्य के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का एक घटक होगी ।

(घ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे,:-

(i) वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इसमें जो भी निकट हो, किसी होटल या रिसोर्ट का नया संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा । तथापि, वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1 किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक नए होटलों और रिसोर्टों की स्थापना पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व परिभाषित एवं अभीहित क्षेत्रों में अनुज्ञात की जाएगी।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल देते हुए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा ।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के विकास तथा विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नये होटल/रिसार्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(4) **प्राकृतिक विरासत –** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि सभी जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी तथा उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी जो आंचलिक महायोजना का भाग होगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कृत्रिम क्षेत्रों, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी जो आंचलिक महायोजना का भाग होगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** – आंध्र प्रदेश राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन बने ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार पारिस्थितकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण संबंधी विनियमों को लागू करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्रावों का निस्सारण, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत शामिल किए गए पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण संबंधी साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों के अनुसार किया जाएगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट -** ठोस अपशिष्टों का निपटान और प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा -

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। गैर-जैविक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थान पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवदी जोन के भीतर मान्य प्रौद्योगिकियों (ईएसएम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जायेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट**- (क) जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्न प्रकार से किया जाएगा :-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय –समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिकी संवदी जोन के भीतर मान्य प्रौद्योगिकियों (ईएसएम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल ठोस प्रंबंधन अनुज्ञात किया जायेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय –समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधो के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. सा.का.नि. 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट:-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 समय –समय पर यथा संशोधित के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **वाहन-यातायात: -** वाहन-यातायत का संचलन आवास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे तथा आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार वाहनों की आवाजाही के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण:-** वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन जैसे कि सीएनजी, एलपीजी आदि के प्रयोग के प्रयास किए जाएंगे ।

(16) **औद्योगिक इकाइयां: -** (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं की जायेगी।

(ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात की जायेगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जायेगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण: -** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जायेगा:

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं होगी ।

(ख) जिन विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है, उनमें कोई भी संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा ।

(18) केन्द्र सरकार और राज्य सरकार, यदि आवश्यक समझें तो, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए, अन्य उपाय विनिर्दिष्ट करेंगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले या संवर्धित क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड), 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) के उपबंधों तथा उनमें किए गए संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	विवरण
(1)	(2)	(3)
	क. **प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप**	
1.	वाणिज्यिक खनन ।	(क) स्थानीय निवासियों की वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं, जिनमें घर के निर्माण या मरम्मत के लिए जमीन की खुदाई और मकान बनाने एवं अन्य क्रियाकलापों के लिए देशी टाइलें या ईंटें बनाना शामिल है, को छोडकर सभी नई और वर्तमान (लघु एवं वृहद खनिज) पत्थर खोदने एवं तोड़ने वाली इकाइयां तत्काल प्रभाव से निषिद्ध की जाती हैं ; (ख) टी.एन. गोदावर्मन थिरूमलपाद बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 1995 की रिट याचिका (सी) सं 202 में दिनांक 4 अगस्त, 2006 तथा गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 2012 की रिट याचिका(सी) सं. 435 में दिनांक 21 अप्रैल, 2014 के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में खनन संबंधी क्रियाकलाप किए जाएंगे।

2.	उद्योगों की स्थापना जिसके अंतर्गत प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) उत्पन्न करने वाले नए तेल और गैस खोज उद्योग भी हैं।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नए उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुमति नहीं होगी। जब तक कि इस प्रकार अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की अनुज्ञा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
3.	बृहत ताप एवं वृहद जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
4.	किसी खतरनाक पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
6.	नई आरा मिलों और लकड़ी आधारित उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई आरा मिल स्थापित करना और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार की अनुमति नहीं होगी ।
7.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
8.	प्लास्टिक बैगों का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
9.	ईंट भट्टों की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
	ख.विनियमित क्रियाकलाप	
10.	होटलों और रिजॉर्टो की वाणिज्यिक स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट की अनुमति नहीं होगी। परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुरूप होगा।
11.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुमति नहीं होगी। बशर्ते कि स्थानीय निवासियों की आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थानीय लोगों को, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार संनिर्माण करने की अनुमति दी जाएगी जैसे कि :- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण; (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण; (iii) फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार गैर- प्रदूषणकारी लघु उद्योग; (iv) कुटीर उद्योग, जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधा भण्डार और पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक स्थानीय सुविधाएं जिनमें अंतर्गत गृह आवास भी हैं; और (v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध प्रोत्साहित क्रियाकलाप ।

		(ख) बशर्ते कि लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ऐसे लघु उद्योगों, जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे । (ग) एक किलोमीटर से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
12.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी ।
13.	फर्मों, कॉर्पोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और मुर्गीपालन फार्मों की स्थापना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
14.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
15.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, और तार-बिछाने एवं अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा । भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
16.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों तथा मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ किया जायेगा।
17.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ बनाना और नई सड़कों का निर्माण ।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों तथा मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ किया जायेगा।
18.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स आदि को उड़ाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
19.	पर्वतीय ढ़लानों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
20.	रात्रि में वाहन यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा ।
21.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित/अपशिष्ट जल/बहिस्र्राव का निस्सारण ।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिस्राव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/ बहिस्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
22.	वाणिज्यिक उपयोग और सतही तथा भूजल का निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।

23.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुएं/ बोर कुएं आदि का निर्माण ।	समुचित प्राधिकारी द्वारा विनियमित किया जाएगा तथा क्रियाकलाप की सख्त निगरानी की जाएगी।
24.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन/ जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
25.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
26.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का उपयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
27.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
	ग. संवर्धित क्रियाकलाप	
28.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन इसकी अनुमति होगी ।
29.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग ।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग तथा खतरे से रहित लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागबानी या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाने वाले कृषि आधारित उद्योग को सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेनी होगी।
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय रुप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	अवक्रमित भूमि/वनों या वास-स्थलों की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. निगरानी समिति.- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारिस्थितिकी संवेदी जोन की प्रभावी निगरानी के लिए मानीटरी समिति गठित करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:--

(i) कलेक्टर, कडप्पा वाईएसआर जिला -अध्यक्ष;

(ii) राज्य सरकार द्वारा नामांकित किए जाने वाला पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र का एक विशेषज्ञ -सदस्य;

(iii) संभागीय वन अधिकारी (डब्लूएल), प्रोड्दातुर –सदस्य;

(iv) गैर-सरकारी संगठनों का एक प्रतिनिधि, (विरासत संरक्षण सहित पर्यावरण के क्षेत्र में सक्रिय) जिसे राज्य सरकार द्वारा नामित किया जायेगा –सदस्य;

(v) क्षेत्र का वरिष्ठ नगर योजनाकार –सदस्य;

(vi) आंध्र प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि –सदस्य;

(vii) राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाने वाला जैव विविधता का एक विशेषज्ञ –सदस्य;

(viii) उपवन संरक्षक (अभयारण्य के प्रभारी) –सदस्य-सचिव।

6. विचारार्थ विषय :-

(1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुन: गठन किए जाने तक होगा और बाद में निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) निगरानी समिति उन क्रियाकलापों को अनुज्ञात नहीं करेगी जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचनाओं अर्थात् पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 सं.का.आ.1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 और तटीय विनियम जोन, 2011 सं.का.आ 19 (अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 तथा इनमें किए गए परिवर्ती संशोधनों की अनुसूची के अंतर्गत आते हैं और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा में भी आते हैं जिनमें इस अधिसूचना के पैरा-4 में दी गई सारणी में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप भी शामिल हैं। केवल श्वेत श्रेणी के उद्योगों को ही केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ''उद्योगों के वर्गीकरण, 2016'' के लिए जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों में विनिर्दिष्ट माना जाएगा।

(4) वे क्रियाकलाप, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 और का.आ. 19 (अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 की अनुसूची के अंतर्गत नहीं आते हैं और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा में आते हैं, उनकी, इस अधिसूचना के पैरा-4 में दी गई सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, वास्तविक स्थल–विशिष्ट दशाओं के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उन्हें संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को भेजा जाएगा।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित आयुक्त ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति प्रत्येक मामले में आवश्यकताओं के आधार पर संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को प्रत्येक मामले मे आवश्यकता के अनुसार अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध IV** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे।

[फा. सं. 25/34/2016-ईएसजेड]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

पारिस्थितिकी संवेदी जोन के साथ पेनुसिला नरसिम्हा वन्यजीव अभयारण्य, आंध्र प्रदेश का मानचित्र

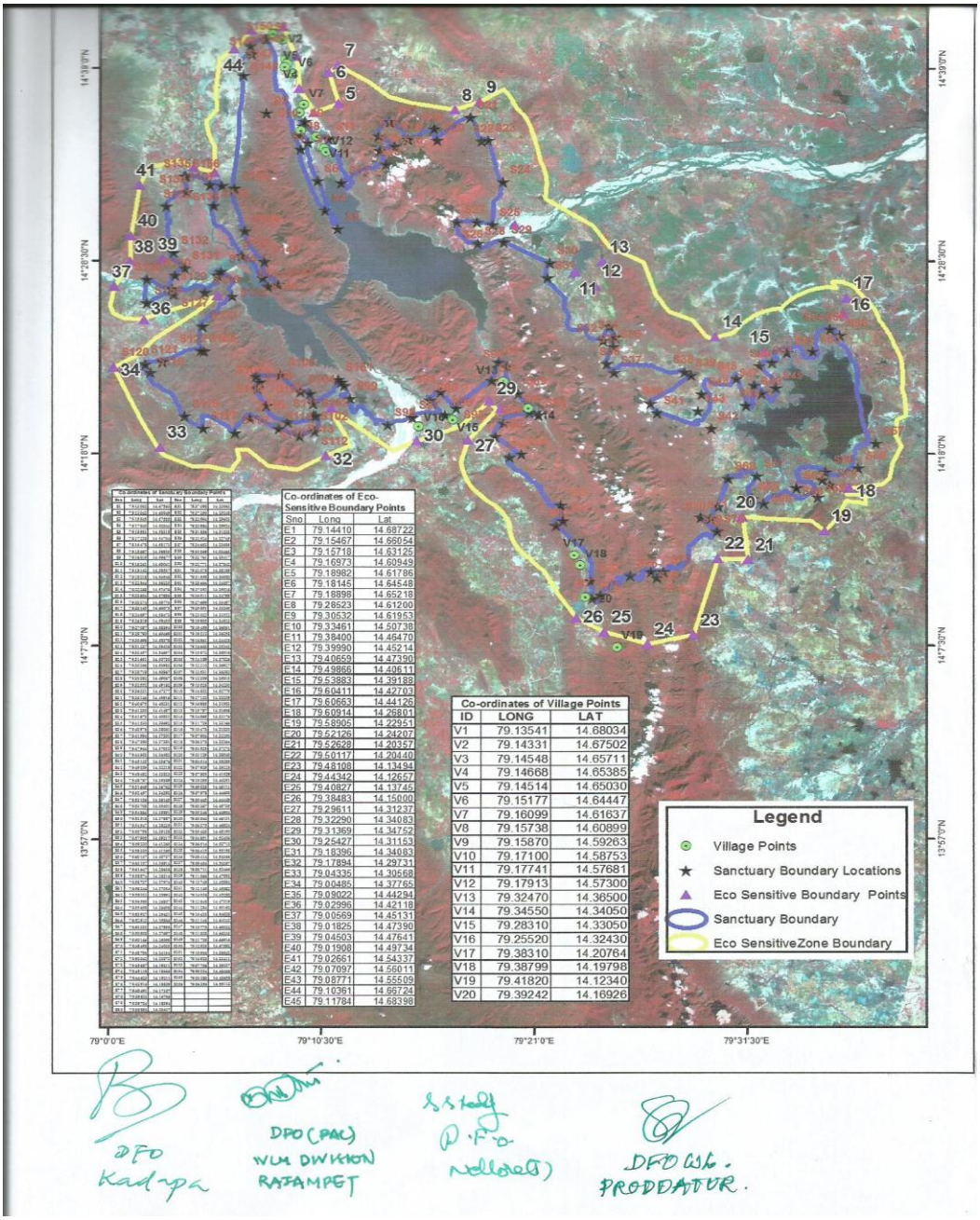

उपाबंध- I क

पेनुसिला वन्यजीव अभयारण्य, आंध्र प्रदेश की सीमा के भू-निर्देशांक

क्र. सं.	बिंदु कोड	अक्षांश (उ) (डीएमएस प्रारूप)	देशांतर (पू) (डीएमएस प्रारूप)
1.	एस1	79.13042	14.67563
2.	एस2	79.13042	14.60849
3.	एस3	79.15845	14.57555
4.	एस4	79.17840	14.52044
5.	एस5	79.18901	14.50318
6.	एस6	79.17238	14.54704
7.	एस7	79.16478	14.58173
8.	एस8	79.15687	14.58853
9.	एस9	79.16019	14.59677
10.	एस10	79.16241	14.60041
11.	एस11	79.18142	14.58537
12.	एस12	79.19218	14.54546
13.	एस13	79.22844	14.56225
14.	एस14	79.22369	14.57476
15.	एस15	79.23604	14.57856
16.	एस16	79.22274	14.58774
17.	एस17	79.23145	14.60073
18.	एस18	79.24697	14.58473
19.	एस19	79.26819	14.59455
20.	एस20	79.27057	14.58394
21.	एस21	79.29780	14.60469
22.	एस22	79.30699	14.58378
23.	एस23	79.31237	14.58426
24.	एस24	79.32457	14.54657
25.	एस25	79.31601	14.50730
26.	एस26	79.30366	14.50983
27.	एस27	79.28719	14.50967
28.	एस28	79.30382	14.49067
29.	एस29	79.32552	14.49162
30.	एस30	79.36321	14.47277
31.	एस31	79.36146	14.45916
32.	एस32	79.40675	14.40231
33.	एस33	79.41230	14.41497
34.	एस34	79.41673	14.40531
35.	एस35	79.41530	14.39692
36.	एस36	79.40976	14.38061

37.	एस37	79.41594	14.37301
38.	एस38	79.47390	14.37381
39.	एस39	79.47944	14.37032
40.	एस40	79.44603	14.34482
41.	एस41	79.45125	14.33674
42.	एस42	79.49559	14.32218
43.	एस43	79.48482	14.33833
44.	एस44	79.48767	14.35369
45.	एस45	79.51649	14.36762
46.	एस46	79.52457	14.34292
47.	एस47	79.53106	14.36145
48.	एस48	79.53708	14.35401
49.	एस49	79.54864	14.35891
50.	एस50	79.53518	14.37887
51.	एस51	79.54547	14.38235
52.	एस52	79.55798	14.39138
53.	एस53	79.57905	14.39217
54.	एस54	79.59330	14.41260
55.	एस55	79.59330	14.41260
56.	एस56	79.60137	14.40737
57.	एस57	79.63107	14.30914
58.	एस58	79.61647	14.28638
59.	एस59	79.58974	14.28316
60.	एस60	79.58727	14.27574
61.	एस61	79.59346	14.27054
62.	एस62	79.58331	14.25991
63.	एस63	79.56599	14.26807
64.	एस64	78.55659	14.26658
65.	एस65	79.53927	14.25421
66.	एस66	79.52912	14.25866
67.	एस67	79.53333	14.27895
68.	एस68	79.50958	14.27697
69.	एस69	79.50166	14.25099
70.	एस70	79.49498	14.24035
71.	एस71	79.48706	14.24134
72.	एस72	79.50042	14.22873
73.	एस73	79.45687	14.19211
74.	एस74	79.45118	14.18666
75.	एस75	79.44623	14.19211
76.	एस76	79.42916	14.18839

77.	एस77	79.40491	14.17107
78.	एस78	79.39823	14.16786
79.	एस79	79.39724	14.18394
80.	एस80	79.36854	14.23417
81.	एस81	79.37398	14.23862
82.	एस82	79.37250	14.25248
83.	एस83	79.32994	14.29603
84.	एस84	79.33984	14.29924
85.	एस85	79.31856	14.31533
86.	एस86	79.32524	14.32745
87.	एस87	79.34652	14.33685
88.	एस88	79.35369	14.33463
89.	एस89	79.33761	14.35417
90.	एस90	79.32771	14.37842
91.	एस91	79.32078	14.38189
92.	एस92	79.31559	14.36580
93.	एस93	79.28664	14.34057
94.	एस94	79.27352	14.35516
95.	एस95	79.26511	14.34799
96.	एस96	79.27699	14.33487
97.	एस97	79.25051	14.33240
98.	एस98	79.23022	14.32522
99.	एस99	79.19905	14.34923
100.	एस100	79.19459	14.36061
101.	एस101	79.19212	14.36358
102.	एस102	79.16861	14.34428
103.	एस103	79.16663	14.35343
104.	एस104	79.15872	14.35516
105.	एस105	79.14189	14.37026
106.	एस106	79.12210	14.36927
107.	एस107	79.12531	14.36382
108.	एस108	79.12309	14.35813
109.	एस109	79.13026	14.34230
110.	एस110	79.14832	14.32770
111.	एस111	79.17133	14.33339
112.	एस112	79.16985	14.31953
113.	एस113	79.15797	14.31508
114.	एस114	79.14065	14.32176
115.	एस115	79.11739	14.33166
116.	एस116	79.10478	14.31830

117.	एस117	79.07904	14.32250
118.	एस118	79.06370	14.33364
119.	एस119	79.03525	14.37273
120.	एस120	79.03129	14.38040
121.	एस121	79.04514	14.38288
122.	एस122	79.07929	14.39228
123.	एस123	79.07805	14.41529
124.	एस124	79.10255	14.44251
125.	एस125	79.09028	14.46111
126.	एस126	79.07978	14.44600
127.	एस127	79.05445	14.44449
128.	एस128	79.03267	14.45735
129.	एस129	79.05346	14.44904
130.	एस130	79.05544	14.46131
131.	एस131	79.06375	14.46824
132.	एस132	79.05425	14.48190
133.	एस133	79.04851	14.52406
134.	एस134	79.06514	14.53713
135.	एस135	79.06415	14.55158
136.	एस136	79.08414	14.54366
137.	एस137	79.09404	14.54267
138.	एस138	79.08711	14.52466
139.	एस139	79.11066	14.47893
140.	एस140	79.12749	14.45894
141.	एस141	79.13165	14.45082
142.	एस142	79.14036	14.45280
143.	एस143	79.12848	14.47319
144.	एस144	79.11284	14.50150
145.	एस145	79.10433	14.54029
146.	एस146	79.11146	14.64243
147.	एस147	79.10770	14.65332
148.	एस148	79.11838	14.66243
149.	एस149	79.11739	14.66916
150.	एस150	79.12925	14.67592
151.	एस151	79.18966	14.36642
152.	एस152	79.16920	14.33411
153.	एस153	79.07706	14.39337
154.	एस154	79.09324	14.46466
155.	एस155	79.03280	14.43658
156.	एस156	79.06356	14.55113

उपाबंध- I ख

पेनुसिला नरसिम्हा वन्यजीव अभयारण्य, आंध्र प्रदेश के सीमा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू-निर्देशांक

क्र. सं.	बिंदु कोड	अक्षांश (उ) (डीएमएस प्रारूप)	देशांतर (पू) (डीएमएस प्रारूप)
1	ई1	14.68722	79.14410
2	ई2	14.66054	79.15467
3	ई3	14.63125	79.15718
4	ई4	14.60949	79.16973
5	ई5	14.61786	79.18982
6	ई6	14.64548	79.18145
7	ई7	14.65218	79.18898
8	ई8	14.61200	79.28523
9	ई9	14.61953	79.30532
10	ई10	14.50738	79.33461
11	ई11	14.46470	79.38400
12	ई12	14.45214	79.39990
13	ई13	14.47390	79.40659
14	ई14	14.40611	79.49866
15	ई15	14.39188	79.53883
16	ई16	14.42703	79.60411
17	ई17	14.44126	79.60663
18	ई18	14.26801	79.60914
19	ई19	14.22951	79.58905
20	ई20	14.24207	79.52126
21	ई21	14.20357	79.52628
22	ई22	14.20440	79.50117
23	ई23	14.13494	79.48108
24	ई24	14.12657	79.44342
25	ई25	14.13745	79.40827
26	ई26	14.15000	79.38483
27	ई27	14.31237	79.29611
28	ई28	14.34083	79.32290
29	ई29	14.34752	79.31369
30	ई30	14.31153	79.25427
31	ई31	14.34083	79.18396
32	ई32	14.29731	79.17894
33	ई33	14.30568	79.04335
34	ई34	14.37765	79.00485

35	ई35	14.44294	79.09022
36	ई36	14.42118	79.02996
37	ई37	14.45131	79.00569
38	ई38	14.47390	79.01825
39	ई39	14.47641	79.04503
40	ई40	14.49734	79.01908
41	ई41	14.54337	79.02661
42	ई42	14.56011	79.07097
43	ई43	14.55509	79.08771
44	ई44	14.66724	79.10361
45	ई45	14.68398	79.11784

उपाबंध- II

पेनुसिला नरसिम्हा वन्यजीव अभयारण्य, आंध्र प्रदेश के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

श्री पेनुसिला नरसिम्हा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के उत्तर पश्चिम कोण में स्थित स्टेशन सं. 1 से आरंभ होकर और यह पेनुसिला नरसिम्हा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के साथ चार संभागों अर्थात् प्रोद्यत्तुर, एसपीएसआर नेलोरे, राजमपेट और वाईएसआर कडपा से होते हुए जाती है।

उत्तर (भाग I): पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा रेखा मानचित्र पर दर्शाए गए प्रोद्यत्तुर संभाग के स्टेशन सं. 1 से आरंभ होती है। स्टेशन सं. 1 की जीपीएस रिडिंग 14.68722⁰उ एवं 079.14410⁰पू है और प्रोद्यत्तुर संभाग को स्टेशन सं. 5 तक पूर्व दिशा की ओर जाती है। स्टेशन सं. 5 की जीपीएस रीडिंग 14.61786⁰उ एवं 079.18982⁰पू है।

उत्तर (भाग II): पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा रेखा जीपीएस रीडिंग 14.61786⁰उ एवं 079.18982⁰पू के साथ उत्तर में एसपीएसआर नेलोरे संभाग में स्टेशन सं. 5 से आरंभ होकर और यह वाईएसआर कडपा और एसपीएसआर नेलोरे के बीच जिला सीमा के साथ स्टेशन सं. 7 से उत्तर दिशा की ओर जाती है, जो संभाग सीमा भी है। इसके बाद सीमा स्टेशन सं. 7 से पूर्व की ओर जाती है और उत्तर-पूर्व किनारे पर स्टेशन सं. 9 तक पहुँचती है।

पूर्व: पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा स्टेशन सं. 9 से होते हुए जाती है जो जीपीएस रीडिंग 14.61953⁰उ एवं 079.30532⁰पू है और एसपीएसआर नेलोरो संभाग में स्टेशन सं. 18 से दक्षिण दिशा की ओर जाती है। स्टेशन सं. 18 की जीपीएस रिडिंग 14.26801⁰उ एवं 079.60914⁰पू है।

दक्षिण (भाग I): पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा स्टेशन सं. 18 से होकर और स्टेशन सं. 24 से पश्चिम की ओर जाती है जो जीपीएस 14.12657⁰उ एवं 079.44342⁰पू है। अंततः स्टेशन सं. 24 से वाईएसआर कडपा की जिला सीमा से मिलती है, जो राजमपेट संभाग की संभाग सीमा भी है।

दक्षिण (भाग II): पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा रेखा स्टेशन सं. 24 से दक्षिण दिशा में राजमपेट और जिला सीमा के साथ जाती है। इसके बाद सीमा दक्षिण-पश्चिम दिशा के साथ जाती है, और स्टेशन 30 और 31 के बीच वाईएसआर कडपा संभाग से मिलती है।

दक्षिण (भाग III): पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा रेखा स्टेशन सं. 30 और 31 के बीच वाईएसआर कडपा संभाग में प्रवेश करती है और स्टेशन सं. 33 जीपीएस रीडिंग 14.30568⁰उ एवं 079.04335⁰पू से पश्चिमी दिशा की ओर जाती है।

पश्चिम: पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा रेखा पश्चिमी दिशा में स्टेशन सं. 33 से आरंभ होकर, उत्तर दिशा की ओर जाती है। सीमा रेखा उत्तरी दिशा में जाकर और स्टेशन सं. 45 पहुँचती है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा रेखा प्रोद्यत्तुर संभाग में स्टेशन सं. 45 पर समाप्त होती है जो जीपीएस रीडिंग 14.68398⁰उ एवं 079.11784⁰पू है और सीमा के नजदीक स्टेशन सं. 1 से मिलती है।

उपाबंध- III

पेनुसिला नरसिम्हा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र. सं.	जिला का नाम	संभाग का नाम	श्रेणी	ग्राम के नाम	मण्डल के नाम
1	एसपीएसआर नेलोरे	एसपीएसआर नेलोरे	अतमाकुर	गोगुलापल्ली	ए.सागरम
2				चप्पारल्लापल्ली	ए.सागरम
3				श्रीसैलापुरम	ए.सागरम
4				कन्नापल्ली	ए.सागरम
5				गुदीगुन्ता	ए.सागरम
6				येगुरावरापल्ली	ए.सागरम
7				गोविदापल्ली	ए.सागरम
8				पदनातिकामभामपाडु	ए.सागरम
9				सोमासिला	ए.सागरम
10			रापुर	राजुपलेम	कलुवोय
11				प्रोजेक्ट कॉलोनी	कलुवोय
12				कुल्लुरु	कलुवोय
13				मदन्नागरीपल्ली	कलुवोय
14				चिंतालापलेम	कलुवोय
15				वेंकटारामाराजुपेटा	कलुवोय
16				कोटुरुपल्ली	कलुवोय
17				कोल्लापनैदुपल्ली	चिजेरला
18				तेगाचेरला	रापुरु
19				संगम	संगम
20				पेरामाकोन्डा	कलुवोय
21				पार्वथीपुरम	पोदलाकुर
22				गरीमनपेन्टा	रापुर
23				वेकटापुरम	पोदलाकुर
24				पुलिकोर्रु	पोदलाकुरु
25				रामाकुरु	रापुर
26				गोनुपल्ली	रापुर
27				चकलापल्ली	रापुर
28				चल्लातुरु	रापुर
29				अदुरुपल्ली	चिजेरला
30				सनयापलेम	रापुर
31				गुन्दावोलु	रापुर
32				वेपीनापी	रापुर
33				रामदेवीपल्ली	रापुर
34				गंदुरुपल्ली	रापुर
35				येपुरु	रापुर

क्र. सं.	जिला का नाम	संभाग का नाम	श्रेणी	ग्राम के नाम	मण्डल के नाम
36				तुरुपुवेलिगोनु	रापुर
37				पदमारावालिगोनु	रापुर
38				तुरावारिपलेम	रापुर
39				पेरलाकुन्ता	पेलगालुर
40				मरलाबयालु	पेलगालुर
41				तिरुनामपल्ली	पेलगालुर
42				कोटीचिन्नाय्यागरीपल्ली	पेलगालुर
43		राजमपेट	चितवेल	चिन्तालाचेलिका	चितवेल
44				राजाकुन्ता	चितवेल
45	वाईएसआर कडपा			सलीवेन्द्रा	चितवेल
46				अनुमपल्ली	चितवेल
47				बेतयापल्ली	गोपावरम
48				दिन्नेमीदापलान्नी	गोपावरम
49		प्रोद्यात्तुर	बदवेल श्रेणी	बेदुसुपल्ली	गोपावरम
50				रचयापेटा	गोपावरम
51				अगराहराम	गोपावरम
52				पोलिरेड्डीपल्ली	गोपावरम
53				सुन्दरापल्ली	गोपावरम
54				बुचेनापल्ली	गोपावरम
55				रामापुरम	गोपावरम
56				अदुसुवरिपल्ली	गोपावरम
57			वोनतिमित्ता	चिन्नाराचापल्ले	वोनतिमित्ता
58				गोपयागरीपल्ले	अतलुर
59			सिदौत	पिदाथला	अतलुर
60				अकुथोतपल्ले	अतलुर
61				वरिकुन्ता	अतलुर
62				सितापुरम	वोनतिमित्ता
63				सलाबाद	वोनतिमित्ता
64				गोल्लापल्ले	वोनतिमित्ता
65			वोनतिमित्ता	चेरलापल्ले	वोनतिमित्ता
66				नदीमापल्ले	वोनतिमित्ता
67				चिंतालाकुन्ता	नंदालुर
68				मल्लाय्यापल्ले	वोनतिमित्ता
69			सिदौत	चिंताकायलाप्ल्ले	अतलुर
70				मरायीगरीपल्ले	वोनतिमित्ता
71			वोनतिमित्ता	कोनराजुपल्ले	वोनतिमित्ता
72				कोमारुनीपल्ले	वोनतिमित्ता

क्र. सं.	जिला का नाम	संभाग का नाम	श्रेणी	ग्राम के नाम	मण्डल के नाम
73				मल्लाम्मापेटा	वोनतिमित्ता
74				मन्टापामपल्ले	वोनतिमित्ता
75				येर्राचेरुवुपल्ले	वोनतिमित्ता
76				अम्मावारिपल्ले	वोनतिमित्ता
77				कोन्दाराजुपल्ले	वोनतिमित्ता
78				अचाम्मापेटा	वोनतिमित्ता
79				वनटीगरीपल्ले	वोनतिमित्ता
80			सिदौत	बोदीसेट्टीपल्ली	अतलुर
81				चित्तीमवरिपल्ले	अतलुर
82			वोनतिमित्ता	चिन्तावरिपल्ले	वोनतिमित्ता
83				वेलुगुपल्ले	वोनतिमित्ता
84				मलाकटीपल्ले	वोनतिमित्ता
85				पोलुबुचय्यागरीपल्ले	वोनतिमित्ता
86				मंगमपेटा	वोनतिमित्ता
87				रामाचंदरापुरम	वोनतिमित्ता
88				वेंगमपल्ले	वोनतिमित्ता

उपाबंध IV

पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निगरानी समिति — की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का प्रपत्र

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार। विवरण उपाबंध के रूप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।
6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd January, 2018

(**Penusila Narasimha Wildlife Sanctuary, Andhra Pradesh**)

S.O. 36(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in.

Draft Notification

WHEREAS, the Penusila Narasimha Wildlife Sanctuary spreading over an area of 1030.85 Sq. kms is located in two revenue districts (SPSR Nellore and Kadapa) in the State of Andhra Pradesh. The Penusila Narasimha Wildlife Sanctuary is located between two important hill passes known as "Badvel – SPSR Nellore road" passing on the North, Rapur – Chitvel road passing on the South, Podalakur-Somasila road on the East, Kadapa – Rajampet road on the South and Sidhavatam – Badvel road on the West. This sanctuary spreads in three forest circles viz. Guntur, Kurnool and Wildlife Management Circle, Tirupathi, four forest divisions viz. Nellore, Rajampet, Kadapa and Proddatur.

AND WHEREAS, the Penusila Narasimha Wildlife Sanctuary lies between 14.161530 and 14.677480 Latitudes and 78.984510 and 79.629500 Longitudes. Two big water bodies viz., the Kandaleru Reservoir and Somasila Reservoir are included in the sanctuary.

AND WHEREAS, the Penusila Narasimha Wildlife Sanctuary had been declared as Wildlife Sanctuary under the provision of Section 18 of Wildlife (Protection) Act, 1972 (Central Act 53 of 1972) vide Govt., of Andhra Pradesh E.F&S.T (For III) G.O M.s. No. 106 dated 15.09.1997.

AND WHEREAS, this sanctuary is a domain of rich habitat for unexplored bio- diversity, especially many endangered flora and its associated fauna. The sanctuary is ornamented with mosaic of geo-morphological features supporting variety of flora & fauna. Most of the sanctuary possess hilly terrain with plateaus, ridges, gorges and deep valleys which support dry deciduous forests with an under growth of grasses. Dry thorny and dry evergreen forests surround the fringe.

AND WHEREAS, the forests of Nellore, Rajampeta, Kadapa and Proddatur divisions are comprised of mainly superior dry deciduous types. The most common species occurring are *Pterocarpus santalinus*, *Anogeissus latifolia*, *Terminalia tomentosa*, *Pterocarpus marsupium*, *Hardwick iabinata*, *Chloroxylon swietenia*, *Lannea grandis*, *Boswellia serrata*, *Dalbergia paniculata*, *Zizyphus xylopyrus*, *Lagerstroemia parviflora*, etc.,

AND WHEREAS, the topography of the sanctuary enables the occurrence of varied micro & macro habitats to shelter variety of fauna. The upper plateaus, dry tracts of fringe areas with lofty hill slopes in the centre, numerous hill streams, valleys and deep gorges, rock shelters, wood lands, bamboo forests contribute to the existence of a variety of wildlife species. Under the *Zoogeographic* classification of this area comes under Indo-Malayan region (Cis-Gangetic sub-region)-native to the true *Indian fauna like* the Black buck (*Antilope cervicapra*) and four horned antelope (*Tetracerus quadricornis*);

AND WHEREAS, among the most obvious keystone species are top predators like Panther (*Panthera pardus*), Wild Dog (*Lycaon pictus*), etc. Bats are another example of keystone species of this area.

NOW THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area with an extent varying from 2 kilometres to 5 kilometres around the boundary of Penusila Narasimha Wildlife Sanctuary in the State of Andhra Pradesh as the Penusila Narasimha Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.-(1) The extent of Eco-sensitive Zone varies from 2 kilometres to 5 kilometres around the Penusila Narasimha Wildlife Sanctuary. The area of the Eco-Sensitive Zone is 775.59 square kilometers.

(2) The map of the Protected Area demarcating the Eco-sensitive Zone boundary is at **Annexure I** and the list of geo co-ordinates of the boundary of the Protected Area and the Eco-Sensitive Zone is at **Annexure I (A) and (B)** respectively.

(3) The boundary description of the Eco Sensitive Zone is appended at **Annexure II.**

(4) The list of villages falling within the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure III**.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of effective management of the Eco-Sensitive Zone, prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of Final Notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this Notification for approval of Competent Authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:

(i) Environment;

(ii) Forest;

(iii) Urban Development;

(iv) Tourism including eco-tourism;

(v) Municipal and urban development;

(vi) Public Works Department;

(vii) Revenue;

(viii) State Pollution Control Board;

(ix) Rural Development;

(x) Irrigation and Flood Control; and

(xi) Panchayati Rajण्

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded and degraded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area such as park and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies. The Zonal Master Plan shall be supported by maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in Table and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by State Government.-The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Landuse.-**

(a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities.

(b) Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of

Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:

(i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) Small scale industries not causing pollution;

(iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) Promoted activities and given under para 4.

(c) Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

(d) Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

(e) Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(f) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat and biodiversity restoration activities.

(2) **Natural Springs.-** The catchment areas of all natural springs/rivers/ channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan.

(3) **Tourism/Eco-Tourism.-** (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b)The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the ESZ whichever is nearer. However, beyond the distance of 1 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within ESZ area.

(4) **Natural Heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government or Andhra Pradesh State Pollution Control Board shall implement the regulations for control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions stipulated of The Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986.

(7) **Air pollution.-** Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder and amendments thereto.

(8) **Discharge of effluents.-** Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) **Solid wastes. -** Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated 8th April, 2016 as amended from time to time; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.-** Bio-medical waste management shall be as under:

(a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016 as amended from time to time.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(11) **Plastic Waste Management**.- The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) **Construction and Demolition Waste Management**.- The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) **E-waste**.- The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(14) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) **Vehicular Pollution.-** Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

(16) **Industrial Units.-** (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) **Protection of Hill Slopes:** The protection of hill slopes shall be as under:

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

(18) The Central Government and the State Government shall specify other additional measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

4. List of activities prohibited or to be regulated or promoted within the Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

Sl. No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
A. Prohibited activities		
1.	Commercial Mining	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries including new oil and gas exploration causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.)	No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major thermal and major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws
6.	Setting of new saw mills and wood based industries.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Use of plastic bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws
B. Regulated activities		
10.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities. Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and

		guidelines as applicable.
11.	Construction activities	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as: (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; (ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) Small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by Central Pollution Control Board of February 2016; (iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stays; and (v) Promoted activities listed in this Notification. (b) Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (c) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
12.	Felling of Trees	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
13.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Regulated as per applicable laws
14.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
15.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws. Underground cabling may be promoted.
16.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
17.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
18.	Under taking other activities related to tourism like over flying the ESZ area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per applicable laws

19.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated under applicable laws
20.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
21.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
22.	Commercial use and extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable law.
23.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
24.	Solid Waste Management /Bio-medical Waste Management	Regulated under applicable laws.
25.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
26.	Use of Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
27.	Eco-tourism	Regulated under applicable laws.
C. Promoted activities		
28.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
29.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries termed as White Category as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
33.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
34.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted
35.	Agro Forestry.	Shall be actively promoted.
36.	Use of eco-friendly transport	Shall be actively promoted.
37.	Skill Development	Shall be actively promoted.
38.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
39.	Environmental Awareness	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.- In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 (1) of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes the Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco Sensitive Zone, which shall comprise of, namely:-

(i)	Collector, Kadappa YSR District-	Chairperson;
(ii)	An expert in the area of ecology and environment to be nominated by the State Government-	Member;
(iii)	Divisional Forest Officer (WL), Proddatur-	Member;
(iv)	One representative of non-Governmental Organisation (working in the field of environment including heritage conservation) to be nominated by the State Government-	Member;
(v)	Senior Town Planner of the Area-	Member;
(vi)	Representative from Andhra Pradesh State Pollution Control Board-	Member;
(vii)	An expert in Biodiversity to be nominated by the State Government-	Member;
(viii)	Deputy Conservator of Forests (In charge of the Sanctuary)	- Member Secretary.

6. Terms of Reference.-

(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee would be constituted by the State Government.

(3) The Monitoring Committee shall not allow the activities that are covered in the Schedule to the notifications of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests namely Environmental Impact Assessment, 2006 vide S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and Coastal Regulation Zone, 2011 vide S.O. No. 19(E) dated 6th January, 2011 and subsequent amendments therein, and are falling in the Eco-sensitive Zone, including the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof. Only white categories of industries shall be considered as specified in the guidelines issued by the CPCB for "classification of Industries, 2016".

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and S.O. 19 (E) dated 6th January, 2011 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Commissioner shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wild Life Warden of the State under intimation to this Ministry as per proforma appended at **Annexure IV**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F.No.25/34/2016-ESZ]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

Annexure-I

Map of Penusila Narasimha Wildlife Sanctuary, Andhra Pradesh along with Eco-Sensitive Zone

Co-ordinates of Eco-Sensitive Boundary Points		
Sno	Long	Lat
E1	79.14410	14.68722
E2	79.15467	14.66054
E3	79.15718	14.63125
E4	79.16973	14.60949
E5	79.18982	14.61786
E6	79.18145	14.64548
E7	79.18898	14.65218
E8	79.28523	14.61200
E9	79.30532	14.61953
E10	79.33461	14.50738
E11	79.38400	14.46470
E12	79.39990	14.45214
E13	79.40659	14.47390
E14	79.49866	14.40611
E15	79.53883	14.39188
E16	79.60411	14.42703
E17	79.60663	14.44126
E18	79.60914	14.26801
E19	79.58905	14.22951
E20	79.52126	14.24207
E21	79.52628	14.20357
E22	79.50117	14.20440
E23	79.48108	14.13494
E24	79.44342	14.12657
E25	79.40827	14.13745
E26	79.38483	14.15000
E27	79.29611	14.31237
E28	79.32290	14.34083
E29	79.31369	14.34752
E30	79.25427	14.31153
E31	79.18396	14.34083
E32	79.17894	14.29731
E33	79.04335	14.30568
E34	79.00485	14.37765
E35	79.09022	14.44294
E36	79.02996	14.42118
E37	79.00569	14.45131
E38	79.01825	14.47390
E39	79.04503	14.47641
E40	79.01908	14.49734
E41	79.02661	14.54337
E42	79.07097	14.56011
E43	79.08771	14.55509
E44	79.10361	14.66724
E45	79.11784	14.68398

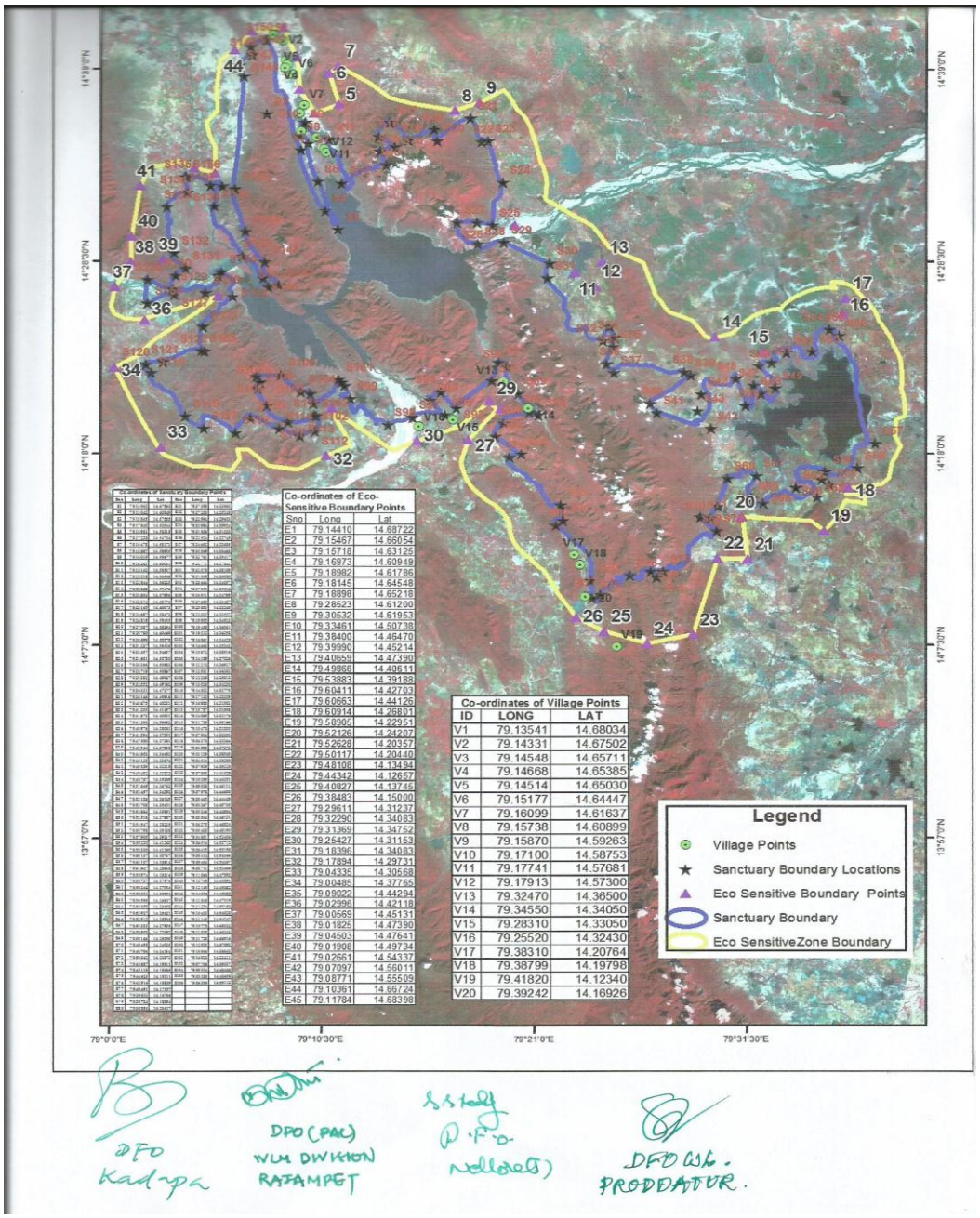

Co-ordinates of Village Points		
ID	LONG	LAT
V1	79.13541	14.68034
V2	79.14331	14.67502
V3	79.14548	14.65711
V4	79.14668	14.65385
V5	79.14514	14.65030
V6	79.15177	14.64447
V7	79.16099	14.61637
V8	79.15738	14.60899
V9	79.15870	14.59263
V10	79.17100	14.58753
V11	79.17741	14.57681
V12	79.17913	14.57300
V13	79.32470	14.36500
V14	79.34550	14.34050
V15	79.28310	14.33050
V16	79.25520	14.32430
V17	79.38310	14.20764
V18	79.38799	14.19798
V19	79.41820	14.12340
V20	79.39242	14.16926

DFO Kadapa

DPO (PAC) WLM DIVISION RAJAMPET

D.F.O. Nellore)

DFO W/L. PRODDATUR.

Annexure-I A

Geo Co-ordinates of boundary of Penusila Wildlife Sanctuary, Andhra Pradesh

Sl. No.	Point Code	Latitude (N) (DMS Format)	Longitude (E) (DMS Format)
1.	S1	79.13042	14.67563
2.	S2	79.13042	14.60849
3.	S3	79.15845	14.57555
4.	S4	79.17840	14.52044
5.	S5	79.18901	14.50318
6.	S6	79.17238	14.54704
7.	S7	79.16478	14.58173
8.	S8	79.15687	14.58853
9.	S9	79.16019	14.59677
10.	S10	79.16241	14.60041
11.	S11	79.18142	14.58537
12.	S12	79.19218	14.54546
13.	S13	79.22844	14.56225
14.	S14	79.22369	14.57476
15.	S15	79.23604	14.57856
16.	S16	79.22274	14.58774
17.	S17	79.23145	14.60073
18.	S18	79.24697	14.58473
19.	S19	79.26819	14.59455
20.	S20	79.27057	14.58394
21.	S21	79.29780	14.60469
22.	S22	79.30699	14.58378
23.	S23	79.31237	14.58426
24.	S24	79.32457	14.54657
25.	S25	79.31601	14.50730
26.	S26	79.30366	14.50983
27.	S27	79.28719	14.50967
28.	S28	79.30382	14.49067
29.	S29	79.32552	14.49162
30.	S30	79.36321	14.47277
31.	S31	79.36146	14.45916
32.	S32	79.40675	14.40231
33.	S33	79.41230	14.41497
34.	S34	79.41673	14.40531
35.	S35	79.41530	14.39692
36.	S36	79.40976	14.38061
37.	S37	79.41594	14.37301

38.	S38	79.47390	14.37381
39.	S39	79.47944	14.37032
40.	S40	79.44603	14.34482
41.	S41	79.45125	14.33674
42.	S42	79.49559	14.32218
43.	S43	79.48482	14.33833
44.	S44	79.48767	14.35369
45.	S45	79.51649	14.36762
46.	S46	79.52457	14.34292
47.	S47	79.53106	14.36145
48.	S48	79.53708	14.35401
49.	S49	79.54864	14.35891
50.	S50	79.53518	14.37887
51.	S51	79.54547	14.38235
52.	S52	79.55798	14.39138
53.	S53	79.57905	14.39217
54.	S54	79.59330	14.41260
55.	S55	79.59330	14.41260
56.	S56	79.60137	14.40737
57.	S57	79.63107	14.30914
58.	S58	79.61647	14.28638
59.	S59	79.58974	14.28316
60.	S60	79.58727	14.27574
61.	S61	79.59346	14.27054
62.	S62	79.58331	14.25991
63.	S63	79.56599	14.26807
64.	S64	78.55659	14.26658
65.	S65	79.53927	14.25421
66.	S66	79.52912	14.25866
67.	S67	79.53333	14.27895
68.	S68	79.50958	14.27697
69.	S69	79.50166	14.25099
70.	S70	79.49498	14.24035
71.	S71	79.48706	14.24134
72.	S72	79.50042	14.22873
73.	S73	79.45687	14.19211
74.	S74	79.45118	14.18666
75.	S75	79.44623	14.19211
76.	S76	79.42916	14.18839
77.	S77	79.40491	14.17107
78.	S78	79.39823	14.16786

79.	S79	79.39724	14.18394
80.	S80	79.36854	14.23417
81.	S81	79.37398	14.23862
82.	S82	79.37250	14.25248
83.	S83	79.32994	14.29603
84.	S84	79.33984	14.29924
85.	S85	79.31856	14.31533
86.	S86	79.32524	14.32745
87.	S87	79.34652	14.33685
88.	S88	79.35369	14.33463
89.	S89	79.33761	14.35417
90.	S90	79.32771	14.37842
91.	S91	79.32078	14.38189
92.	S92	79.31559	14.36580
93.	S93	79.28664	14.34057
94.	S94	79.27352	14.35516
95.	S95	79.26511	14.34799
96.	S96	79.27699	14.33487
97.	S97	79.25051	14.33240
98.	S98	79.23022	14.32522
99.	S99	79.19905	14.34923
100.	S100	79.19459	14.36061
101.	S101	79.19212	14.36358
102.	S102	79.16861	14.34428
103.	S103	79.16663	14.35343
104.	S104	79.15872	14.35516
105.	S105	79.14189	14.37026
106.	S106	79.12210	14.36927
107.	S107	79.12531	14.36382
108.	S108	79.12309	14.35813
109.	S109	79.13026	14.34230
110.	S110	79.14832	14.32770
111.	S111	79.17133	14.33339
112.	S112	79.16985	14.31953
113.	S113	79.15797	14.31508
114.	S114	79.14065	14.32176
115.	S115	79.11739	14.33166
116.	S116	79.10478	14.31830
117.	S117	79.07904	14.32250
118.	S118	79.06370	14.33364
119.	S119	79.03525	14.37273

120.	S120	79.03129	14.38040
121.	S121	79.04514	14.38288
122.	S122	79.07929	14.39228
123.	S123	79.07805	14.41529
124.	S124	79.10255	14.44251
125.	S125	79.09028	14.46111
126.	S126	79.07978	14.44600
127.	S127	79.05445	14.44449
128.	S128	79.03267	14.45735
129.	S129	79.05346	14.44904
130.	S130	79.05544	14.46131
131.	S131	79.06375	14.46824
132.	S132	79.05425	14.48190
133.	S133	79.04851	14.52406
134.	S134	79.06514	14.53713
135.	S135	79.06415	14.55158
136.	S136	79.08414	14.54366
137.	S137	79.09404	14.54267
138.	S138	79.08711	14.52466
139.	S139	79.11066	14.47893
140.	S140	79.12749	14.45894
141.	S141	79.13165	14.45082
142.	S142	79.14036	14.45280
143.	S143	79.12848	14.47319
144.	S144	79.11284	14.50150
145.	S145	79.10433	14.54029
146.	S146	79.11146	14.64243
147.	S147	79.10770	14.65332
148.	S148	79.11838	14.66243
149.	S149	79.11739	14.66916
150.	S150	79.12925	14.67592
151.	S151	79.18966	14.36642
152.	S152	79.16920	14.33411
153.	S153	79.07706	14.39337
154.	S154	79.09324	14.46466
155.	S155	79.03280	14.43658
156.	S156	79.06356	14.55113

Annexure- I B

Geo-coordinates of Eco-sensitive Zone Boundary of Penusila Narasimha WLS, Andhra Pradesh

Sl. No.	Point Code	Latitude (N) (DMS Format)	Longitude (E) (DMS Format)
1	E1	14.68722	79.14410
2	E2	14.66054	79.15467
3	E3	14.63125	79.15718
4	E4	14.60949	79.16973
5	E5	14.61786	79.18982
6	E6	14.64548	79.18145
7	E7	14.65218	79.18898
8	E8	14.61200	79.28523
9	E9	14.61953	79.30532
10	E10	14.50738	79.33461
11	E11	14.46470	79.38400
12	E12	14.45214	79.39990
13	E13	14.47390	79.40659
14	E14	14.40611	79.49866
15	E15	14.39188	79.53883
16	E16	14.42703	79.60411
17	E17	14.44126	79.60663
18	E18	14.26801	79.60914
19	E19	14.22951	79.58905
20	E20	14.24207	79.52126
21	E21	14.20357	79.52628
22	E22	14.20440	79.50117
23	E23	14.13494	79.48108
24	E24	14.12657	79.44342
25	E25	14.13745	79.40827
26	E26	14.15000	79.38483
27	E27	14.31237	79.29611
28	E28	14.34083	79.32290
29	E29	14.34752	79.31369
30	E30	14.31153	79.25427
31	E31	14.34083	79.18396
32	E32	14.29731	79.17894
33	E33	14.30568	79.04335
34	E34	14.37765	79.00485
35	E35	14.44294	79.09022
36	E36	14.42118	79.02996
37	E37	14.45131	79.00569
38	E38	14.47390	79.01825
39	E39	14.47641	79.04503
40	E40	14.49734	79.01908
41	E41	14.54337	79.02661
42	E42	14.56011	79.07097
43	E43	14.55509	79.08771
44	E44	14.66724	79.10361
45	E45	14.68398	79.11784

Annexure II

Boundary Description of Eco Sensitive Zone of Penusila Narasimha Wildlife Sanctuary, Andhra Pradesh

The boundary of the eco-sensitive zone of Sri Penusila Narasimha Wildlife Sanctuary starts at Station No. 1 located at North-West corner and it runs along the boundary of eco-sensitive zone of Sri Penusila Narasimha Wildlife Sanctuary passing through four divisions viz., Proddatur, SPSR Nellore, Rajampet and YSR Kadapa as detailed here-under.

North (Part I): The eco-sensitive zone boundary line starts from Station No. 1 of Proddatur division as shown on the map. The GPS reading of Station No. 1 is 14.68722^0N & 079.14410^0E and runs towards East direction upto Station No. 5 in Proddatur Division. The GPS reading of Station No. 5 is 14.61786^0N & 079.18982^0E.

North (Part II): The eco-sensitive zone boundary line starts at Station No. 5 in SPSR Nellore division in the North with GPS reading 14.61786^0N & 079.18982^0E and runs towards North direction upto Station No. 7 along the district boundary between YSR Kadapa and SPSR Nellore, which is also the division boundary. Thence the boundary runs from Station No. 7 towards East and reaches Station No. 9 in the North-East corner.

East: The eco-sensitive zone boundary runs from Station No. 9 whose GPS reading is 14.61953^0N & 079.30532^0E and proceeds towards South direction upto Station No. 18 in SPSR Nellore division. The GPS readings of Station No.18 are 14.26801^0N & 079.60914^0E.

South (Part I): The eco-sensitive zone boundary leaves Station No. 18 and proceeds towards west upto Station No. 24 whose GPS is 14.12657^0N & 079.44342^0E. Finally meets the district boundary of YSR Kadapa at Station No. 24, which is also the division boundary of Rajampet division.

South (Part II): The eco-sensitive zone boundary line enters Rajampeta in the South direction at Station No. 24 and runs along the District boundary. Thence the boundary runs along the South-West direction, and finally meets the YSR Kadapa division between Stations 30 and 31.

South (Part III): The boundary line of the eco-sensitive zone enters YSR Kadapa division between Station Nos. 30 and 31 and proceeds towards Western direction upto Station No. 33 GPS reading is 14.30568^0N & 079.04335^0E.

West: The eco-sensitive zone boundary line starts at Station No. 33 in the Western direction, runs towards North direction. The boundary line runs in the Northern direction and reaches the station No.45. The eco-sensitive zone boundary line ends at station No. 45 in Proddatur division whose GPS reading is 14.68398^0N & 079.11784^0E and meets Station No. 1 by closing the boundary.

Annexure III

List of villages falling in Penusila Narasimha WLS Eco–sensitive Zone

Sl. No.	Name of the District	Name of the Division	Range	Name of the Village	Name of the Mandal
1	SPSR Nellore	SPSR Nellore	Atmakur	Gogulapalli	A.Sagaram
2				Chapparallapalli	A.Sagaram
3				Srisailapuram	A.Sagaram
4				Kannpalli	A.Sagaram
5				Gudigunta	A.Sagaram
6				Yeguravarapalli	A.Sagaram
7				Govidapalli	A.Sagaram
8				Padamatikambhampadu	A.Sagaram
9				Somasila	A.Sagaram
10				Rajuapalem	Kaluvoy
11				Project Colony	Kaluvoy
12				Kulluru	Kaluvoy
13				Madannagaripalli	Kaluvoy
14				Chintalapalem	Kaluvoy
15				Venkataramarajupeta	Kaluvoy
16				Koturupalli	Kaluvoy
17				Kollapanaidupalli	Chejerla

Sl. No.	Name of the District	Name of the Division	Range	Name of the Village	Name of the Mandal
18				Tegacherla	Rapuru
19				Sangam	Sangam
20				Peramakonda	Kaluvoy
21				Parvathipuram	Podalakur
22			Rapur	Garimanapenta	Rapur
23				Vekatapuram	Podalakur
24				Pulikorru	Podalakuru
25				Ramakuru	Rapur
26				Gonupalli	Rapur
27				Chakalapalli	Rapur
28				Challaturu	Rapur
29				Adurupalli	Chejerla
30				Sanayapalem	Rapur
31				Gundavolu	Rapur
32				Vepinapi	Rapur
33				Ramdevipalli	Rapur
34				Gandurupalli	Rapur
35				Yepuru	Rapur
36				Turupuveligonu	Rapur
37				Padamaraveligonu	Rapur
38				Turravaripalem	Rapur
39				Perlakunta	Penagalur
40				Marlabayalu	Penagalur
41				Tirunampalli	Penagalur
42				Kotichiinnayyagaripalli	Penagalur
43		Rajampet	Chitvel	Chintalachelika	Chitvel
44				Rajakunta	Chitvel
45	YSR Kadapa			Salivendra	Chitvel
46				Anumpalli	Chitvel
47				Betayapalli	Gopavaram
48				Dinnemeedaplalli	Gopavaram
49		Proddaturu	Badvel range	Bedusupalli	Gopavaram
50				Rachayapeta	Gopavaram
51				Agraharam	Gopavaram
52				Polireddypalli	Gopavaram
53				Sundrapalli	Gopavaram
54				Buchenapalli	Gopavaram
55				Ramapuram	Gopavaram
56				Adusuvaripalli	Gopavaram
57		Kadapa	Vontimitta	Chinnarachapalle	Vontimitta
58				Gopayyagaripalle	Atlur
59			Sidhout	Pidathala	Atlur
60				Akuthotapalle	Atlur
61				Varikunta	Atlur
62			Vontimitta	Sitapuram	Vontimitta

Sl. No.	Name of the District	Name of the Division	Range	Name of the Village	Name of the Mandal
63				Salabad	Vontimitta
64				Gollapalle	Vontimitta
65				Cherlapalle	Vontimitta
66				Nadimapalle	Vontimitta
67				Chintalakunta	Nandalur
68				Mallayyapalle	Vontimitta
69			Sidhout	Chintakayalapalle	Atlur
70			Vontimitta	Marayigaripalle	Vontimitta
71				Konarajupalle	Vontimitta
72				Komarunipalle	Vontimitta
73				Mallammapeta	Vontimitta
74				Mantapampalle	Vontimitta
75				Yerracheruvupalle	Vontimitta
76				Ammavaripalle	Vontimitta
77				Kondarajupalle	Vontimitta
78				Achammapeta	Vontimitta
79				Vantigaripalle	Vontimitta
80			Sidhout	Bodisettipalle	Atlur
81				Chittimvaripalle	Atlur
82			Vontimitta	Chintavaripalle	Vontimitta
83				Velugupalle	Vontimitta
84				Malakatipalle	Vontimitta
85				Polubuchayyagaripalle	Vontimitta
86				Mangampeta	Vontimitta
87				Ramachandrapuram	Vontimitta
88				Vengampalle	Vontimitta

Annexure IV

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). [Details may be attached as Annexure]
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006. [Details may be attached as separate Annexure]
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006. [Details may be attached as separate Annexure]
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986;
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2018.01.15 16:09:25 +05'30'